भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3949

17 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- 'प्रति बूंद अधिक फसल'

3949. मोहम्मद रकीबुल हुसैनः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या असम के बाढ़ प्रभावित जिलों में सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं जैसे कि ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणालियों को बढ़ावा दिया जा रहा है;

(ख) राज्य में पीएमकेएसवाई के 'प्रति बूंद अधिक फसल' घटक के अंतर्गत कवर किए गए किसानों की संख्या कितनी है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या बाढ़-प्रवण क्षेत्रों के लिए किसी विशेष प्रोत्साहन का प्रस्ताव है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क) और (ख): वर्ष 2015-16 से असम राज्य सहित देश में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। यह योजना सूक्ष्म सिंचाई, नामतः ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत पर जल की उपयोगिता को बढ़ाने पर केंद्रित है। इस योजना के आरंभ के पश्चात् से असम राज्य में 68607 किसान लाभान्वित हुए हैं।

(ग) और (घ): पीडीएमसी योजना के अंतर्गत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों की स्थापना के लिए छोटे और सीमांत किसानों को 55 प्रतिशत, अन्य किसानों को 45 प्रतिशत और वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) पट्टा धारकों को 90 प्रतिशत की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सब्सिडी पैटर्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के क्षेत्र तथा जिला पर बिना किसी भेदभाव के समान रूप से लागू होता है। असम राज्य सहित कई राज्य टॉप-अप सब्सिडी प्रदान करते हैं जो किसानों को सूक्ष्म सिंचाई अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सहायता में वृद्धि करती है।

विगत तीन वर्षों के दौरान, पीडीएमसी के तहत देश के सभी राज्यों को 6798.24 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है, जिसमें असम राज्य को 107.03 करोड़ रुपये शामिल हैं।
